(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–1236–दो/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.06.2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक घुवारा तहसील घुवारा जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 38/अ–12/2014–15

---

1. लक्ष्मन पिता सिर्री बाढई
2. हीरालाल पिता सिर्री बाढई
3. भैयालाल पिता सिर्री बाढई

निवासीगण ग्राम रामटौरिया
तह0 घुवारा जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. मन्नू पिता पुन्ना लोधी
   निवासी ग्राम बम्हौरी खुर्द पोस्ट रामटोरिया
   तहसील घुवारा जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. म0प्र0 शासन ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा
अनावेदक क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भदौरिया अनावेदक क. 2 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक २२|१|१८ को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक घुवारा तहसील घुवारा जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 38/अ—12/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम डूडा बम्हौरी खुर्द तह0 घुवारा जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नं. 660 रकवा 0.664 हे. का सीमांकन हेतु आवेदन राजस्व निरीक्षक मण्डल घुवारा जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी को सीमांकन किए जाने हेतु आदेश दिए गए। पटवारी द्वारा दिनांक 22.05.2015 को सीमांकन किया गया उक्त सीमांकन पर आवेदकों द्वारा आपत्ति किए जाने पर पुनः सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 04.06.2015 को की जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया। सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राजस्व निरीक्षक ने अपने आदेश 24.06.2015 द्वारा आवेदकों की आपत्ति खारिज करते हुए सीमांकन स्वीकृत किया गया। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02.01.2018 को लिखित तर्क पेश करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण सीमांकन का है। प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही विधिवत किया जाना अभिलेख से स्पष्ट है। पंचनामा को देखने से स्पष्ट होता है कि सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में की गई है। पंचनामा के अनुसार 0.200 हे. भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पाया गया है। उक्त सीमांकन कार्यवाही पर आवेदकों द्वारा आपत्ति किए जाने पर पुनः सीमांकन की कार्यवाही 04.06.2015 को की गई है, उसमें भी आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकों की आपत्ति खारिज करते हुए सीमांकन की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण के तथ्यों को

देखने से प्रतीत होता है कि राजस्व निरीक्षक का आदेश न्यायिक एवं विधिसंगत है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर